Tenders, Purchase & registration of contractors

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

क्रमांक/एफ–17/22/92/अ/11 भोपाल,दिनांक 21 सितम्बर,92

प्रति ,

सभी प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सभी विभागाध्यक्ष
मध्यप्रदेश शासन

विषयः– राज्य शासन के भण्डार क्रय नियमों का कड़ाई से पालन ।

1. शासन के ध्यान में आया है कि नियम विभागों द्वारा राज्य शासन के भण्डार क्रय नियमों का नियमित रूप से पालन नहीं किया जा रहा है ।कुछ विभाग स्वय विभागीय स्तर पर सामग्रियों के क्रयके सम्बन्ध में नियम तैयार कर सीधे क्रय की कार्यवाही कर रहे हैं और आरक्षित वस्तुओं की खरीद के सम्बन्ध में नियमानुसार मध्य प्रदेश लघु उद्योंग निगम को इण्डेन्ट नहीं भेंज रहे हैं । यह कार्यवाही भण्डार क्रय नियमों की अवहेलना हैं ।

2. भण्डार क्रय नियमों का कड़ाई से पालन के लिए समय–समय पर शासन की ओर से निर्देश दिये जाते रहे हैं । भण्डार क्रय नियमों का पालन सुंनिश्चित करने की दृष्टि से यह निश्चित किया गया हैं । कि कोषालय अधिकारी सामग्रियों की खरीद सम्बन्धित पेंजकों का भुगतान तभी करें उन देयको में यह ग्रामाणीकरण हो कि भण्डार क्रय नियमों का विधिथत पालन किया गया है ।

3. सभी विभागों एवं विभागाध्यक्षों से शासन अपेक्षा है कि वे अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों के ध्यान में शासन के इन निर्देशों को लायें और इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

सही/–
(प्रदीप बेजल)
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 17/22/92/अ/11 भोपाल दिनांक 29–9–92

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए...

1. संचालक, कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश, भोपाल।
2. संचालक, लघु उद्योग, उद्योग संचालनालय, म.प्र. भोपाल ।
3. प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम,23, शापिंग सेंन्टर, टी.टी.नगर , भोपाल ।
4. उद्योग विभाग से सम्बन्धित सभी निगमों के प्रबन्ध संचालक।

सही/–
(पी.के. चौधरी)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन